भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1470
(12 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई-I, II और III के अंतर्गत सड़क निर्माण

1470. श्री प्रिंस राज:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों का निर्माण ग्रामीण बस्तियों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो रहा है;

(ख) यदि हां , तो पीएमजीएसवाई के तहत चरण I, II और III में उन सड़कों का विवरण क्या है जिनके लिए निविदा जारी की गई है;

(ग) अभी तक पूरे न हुए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त सड़कों को पूरा करने के लिए क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ; और

(ङ) बिहार के समस्तीपुर में कितनी सड़कों का काम रुका हुआ है और दरभंगा जिले की कितनी सड़कें हैं और उसे पूरा करने की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, हां। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) भारत सरकार का एकबारगी विशेष कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कोर नेटवर्क में पात्र सड़क संपर्कविहीन बस्तियों को बारहमासी सड़क द्वारा ग्रामीण सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। इसे अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें उपलब्ध कराकर ग्रामीण जनसमुदाय को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन की दिशा में एक उपाय के रूप में वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। तत्पश्चात , ग्रामीण

सड़कों के उन्नयन तथा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई- II, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) और पीएमजीएसवाई- III नामक नए कार्यक्रम/घटक पीएमजीएसवाई के दायरे में शामिल किए गए।

नीति आयोग, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद (आईआईएम-ए), विश्व बैंक भारत और आईएलओ द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए विभिन्न मूल्यांकन अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं तक पहुँच, रोजगार सृजन, कृषि उपज की बेहतर कीमतों इत्यादि पर इस योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पीएमजीएसवाई से उन नजदीकी शहरी क्षेत्रों में रोजगार जैसे रोजगार के नए अवसर लोगों को प्राप्त हुए हैं, जहां उनका रोजाना आना-जाना हो सकता है।

(ख): इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की निविदाएं जारी करना और कार्यनिष्पादन कराना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

दिनांक 08.12.2023 की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत सड़क कार्यों की कुल संख्या क्रमश: पीएमजीएसवाई-I में 1,72,173, II में 7,453 और III में 16,424 है। इनमें से पीएमजीएसवाई- I में 1,71,207, II में 7,392 और III में 14,185 कार्यों के संबंध में करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत चरण-I, II और III के अंतर्गत कार्यों के करार का ब्यौरा इस कार्यक्रम की वेबसाइट omms.nic.in=>proposals=>Agreement Details पर दिया गया है।

(ग): दिनांक 08.12.2023 की स्थिति के अनुसार, शेष सड़कों की लंबाई क्रमश: पीएमजीएसवाई-I में 6,848 कि.मी., II में 646 कि.मी. और III में 37,001 कि.मी. है। पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों के अंतर्गत पूरी करने के लिए शेष परियोजनाओं का ब्यौरा इस कार्यक्रम की वेबसाइट omms.nic.in=>progress monitoring=>State MPR Abstract Report पर देखा जा सकता है।

(घ): पीएमजीएसवाई-I और II को पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 2024 है और पीएमजीएसवाई-III को पूरा करने के लिए समय-सीमा मार्च, 2025 है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा पूरे हो जाएं, राज्यों के साथ मासिक समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों तथा पूर्व अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में विभिन्न स्तरों पर कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(ड.): समस्तीपुर और दरभंगा जिलों में स्वीकृत , निर्मित और शेष सड़क कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

पीएमजीएसवाई का चरण	दरभंगा					समस्तीपुर				
	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	निर्मित सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)	निर्मित सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)	शेष सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)*	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	निर्मित सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)	निर्मित सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)	शेष सड़कों की लंबाई (कि.मी. में)*
I	384	375	971	948	7	561	554	1238	1199	15
II	11	9	43	39	4	8	8	62	62	0
III	58	12	429	126	300	18	9	153	89	63

* सड़क के घुमाव की लंबाई में कमी, संरेखण में बदलाव, सड़क के कुछ हिस्से का निर्माण अन्य एजेंसियों द्वारा किए जाने इत्यादि जैसे कारणों से शेष सड़क की लंबाई स्वीकृत और निर्मित सड़कों की लंबाई के अंतर से कम होती है।

पीएमजीएसवाई I और II के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा मार्च, 2024 है और पीएमजीएसवाई-III के संबंध में यह समय-सीमा मार्च, 2025 है।

*****